**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 856**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)**

## एनसीएलटी में लंबित मामले

**856. कुमारी राम्या हरिदासः**
**श्रीमती पूनम महाजनः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने मामलों के निपटान में विलंब को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने के लिए आईबीसी में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

**(क):** नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा प्रदान किए गए आंकडों के अनुसार, क्रमशः 31.12.2020, 31.12.2021 और 31.10.2022 को दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत 13,512, 13,211 और 12,871 मामले लम्बित थे।

**(ख):** एनसीएलटी को मामलों का समय पर निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार, सदस्यों की नियमित नियुक्ति तथा पर्याप्त भौतिक अवसंरचना के प्रावधान सहित, समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाती रही है। सरकार ने 2021 में एनसीएलटी में 20 नये सदस्यों की नियुक्ति की है, 2022 में 15 नये सदस्यों की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है तथा अन्य रिक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

**(ग):** आज की स्थिति के अनुसार सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****